रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 1972/माघ 11, 1893

No 27] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31, 1972/MAGHA, 11, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 31st January 1972

No. DRAWBACK/PN-8/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 with immediate effect:—

For Sub-Serial No. 3836 and the entries relating thereto the following shall be substituted namely :—

Sub—Sr. N.	Description of goods	Rate of drawback
(1)	(2)	(3)
3835	Steel wire ropes all sorts (other than locked coil wire ropes all sorts) with or without fibre core.	
	(a) Ungalvanised . .	Rs. 285/- per tonne of ungalvanised steel content plus the drawback admissible in respect of sisal fibre content, if any, and/or Manila hemp fibre content, if any, under Sub-Serial No. 2508, of public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated 15-10-71 as amended from time to time, plus the drawback admissible in respect of jute fibre content, if any, under Sub-Serial No. 2506 of Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated 15-10-71 as amended from time to time.
	(b) Galvanised . .	Rs. 400/- per tonne of galvanised steel content plus the drawback admissible in respect of sisal fibre content if any, or Manila hemp fibre content, if any, under Sub Serial No. 2508 of Public Notice No. Drawback/PN-1 dated 15-10-71 as amended from time to time plus the drawback admissible in respect of jute fibre content if any, under Sub-Serial No. 2506 of Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated 15-10-71 as amended from time to time.

(Sd.) B. N. RANGWANI,
Joint Director (Drawback).

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली 31 जनवरी 1972

सं० प्रतिप्रदायगी/पी०एन०-8/72 सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (दिनांक 25 अगस्त 1971 के भारत के राजपत्र-असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70-डी०बी०के०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/पी०एन०-1 में प्रकाशित सारणी में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो तत्काल लागू होंगे :—

उप-क्रम सं० 3836 तथा उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा अर्थात् :—

उप-क्रम सं० (1)	माल का विवरण (2)	प्रतिअदायगी की दर (3)
3836	तन्तु कोड सहित अथवा तन्तु कोड विहीन (लाकड कुडची तार की रस्सियों से भिन्न सभी किस्में) इस्पात तार रस्सियों की सभी किस्में	
	(क) अगैल्वनीकृत	अगल्वनीकृत इस्पात की मात्रा का 285/-रु० प्रति टन तथा समय-समय पर यथा-संशोधित दिनांक 15-10-71 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-1, की उप-क्रम सं० 2508 के अधीन सिसल तन्तु की मात्रा, यदि कोई हो तो, तथा/अथवा मनीला सन तन्तु की मात्रा यदि कोई हो तो, उसके सम्बन्ध में स्वीकार्य प्रतिअदायगी तथा समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 15-10-71 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रति-अदायगी पी० एन०1-की उप क्रम सं० 2506के अधीन जूट तन्तु की मात्रा यदि कोई हो तोउस के सम्बन्ध में स्वीकार्य प्रति अदायगी ।
	(ख) गैल्वनीकृत	गैल्वनीकृत इस्पात की मात्रा का 400/-रु० प्रति टन तथा समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 15-10-71 की सार्वजनिक सूचना की उप-क्रम सं० 2508 के अधीन सिसल तन्तु अथवा मनीला सन तन्तु की कोई मात्रा यदि हो तो, उस के सम्बन्ध में स्वीकार्य प्रतिअदायगी तथा समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 15-10 71 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रति-अदायगी/पी०एन०-1 की उप क्रम संख्या 2506 के अधीन जूट तन्तु की मात्रा यदि कोई हो तो उसके सम्बन्ध में स्वीकार्य प्रतिअदायगी ।

बी० एन० रंगवानी
संयुक्त निदेशक (प्रतिअदायगी)।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972